भारत सरकार
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2632
बुधवार, दिनांक 07 अगस्त, 2024 को उत्तर दिए जाने हेतु

<u>ई-अपशिष्ट का प्रबंधन</u>

2632. श्री गुरजीत सिंह औजला: क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार का नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादों के उपयोग से उत्पन्न ई-अपशिष्ट का प्रबंधन किस प्रकार करने का विचार है तथा पर्यावरण पर इसका क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है; और

(ख) क्या सरकार के पास नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादों के उपयोग से उत्पन्न ई-अपशिष्ट/रद्दी को नष्ट करने की कोई योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद येसो नाईक)

(क) और (ख): पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने दिनांक 01 अप्रैल, 2023 से प्रभावी ई-अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम, 2022 को अधिसूचित किया है और समय-समय पर संशोधित किया है। ये नियम सौर प्रकाशवोल्टीय मॉड्यूलों अथवा पैनलों अथवा सेलों के लिए लागू होते हैं, जो उक्त नियमों के अध्याय-V के प्रावधानों के अधीन होंगे। इन नियमों के अनुसार, सौर प्रकाशवोल्टीय मॉड्यूलों अथवा पैनलों अथवा सैलों के प्रत्येक विनिर्माता और उत्पादक

(i) पोर्टल पर पंजीकरण सुनिश्चित करेंगे;
(ii) इस संबंध में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार, वर्ष 2034-2035 तक उत्पन्न सौर प्रकाशवोल्टीय मॉड्यूलों या पैनलों अथवा सेलों अपशिष्ट का भंडारण करेंगे;
(iii) वर्ष 2034-2035 तक संबंधित वार्षिक रिटर्न पोर्टल पर निर्धारित प्रपत्र में उस वर्ष की अंतिम तिथि या उससे पूर्व वार्षिक रिटर्न दाखिल करना;
(iv) यह सुनिश्चित करना कि सौर फोटोवोल्टेक मॉड्यूलों या पैनलों अथवा सेलों के अलावा अन्य अपशिष्ट का प्रसंस्करण वर्तमान में लागू नियमों या दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है;
(v) यह सुनिश्चित करना कि सौर फोटोवोल्टेक मॉड्यूलों या पैनलों अथवा सेलों की सूची पोर्टल पर स्पष्ट रूप से रखी गई है;
(vi) इस संबंध में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित मानक संचालन प्रक्रिया और दिशानिर्देशों का अनुपालन करना।

इसके अलावा, सौर फोटोवोल्टेक मॉड्यूल या पैनल या सेल के पुनर्चक्रणकर्ता के लिए इस संबंध में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) द्वारा निर्धारित सामग्री की रिकवरी करना अनिवार्य होगा।

पवन टरबाइन के अधिकांश कंपोनेंट धातुओं से बने होते हैं जिन्हें रिसाइकल किया जा सकता है और ब्लेड में उपयोग किए जाने वाले फाइबर प्रबलित प्लास्टिक (एफआरपी) के लिए, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) ने दिनांक 25 मई, 2016 को 'शीट मोल्डिंग कंपाउंड (एसएमसी)/फाइबर प्रबलित प्लास्टिक (एफआरपी) सहित थर्मोसेट प्लास्टिक अपशिष्ट के निपटान के लिए दिशानिर्देश' जारी किए हैं।

*****